

FORM – 21 – C

(See rule 64)

(For use in Genral Election when seat is contested)


**Declaration of the result of Election under section 66 of
the Representation of the people Act 1951.**

**Election to the Legislative Assembly of Rajasthan
State From the Assembly Constituency in
53 ADARSH NAGAR**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 or the Conduct of Elections Rule, 1961, I declare that –

Shri RAFEEK KHAN Address D-135, Durga Marg, Baniprak, Jaipur-302016 sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Commerce College,
Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur
Date :11-12-2018


(INDRAJEET SINGH)
RETURNING OFFICER,
53 ADARSH NAGAR ASSEMBLY
& Dy. Inspector General Registration
& Ex Officio Collector (Stamps), Jaipur Circle III

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन
निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

53 आदर्श नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान
राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री रफीक खान पता डी-135, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016 जो इंडियन नेशनल काँग्रेस पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : कॉमर्स कॉलेज,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

दिनांक : 11.12.2018



(इन्द्रजीत सिंह)

रिटर्निंग ऑफिसर,

विधानसभा क्षेत्र 53 आदर्श नगर एवं
उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर
(मुद्रांक) जयपुर वृत्त तृतीय